

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक: 1/11/अन्वेषण/पांच/2014/34725-35124, इन्दौर, दिनांक 31-10-14,

अधिसूचना

विषय :- दिनांक 10.10.2014 को म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दिनांक 01/10/2014 से नई न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावशील करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 35 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 01/10/2014 से प्रभावशील की गई है जो निम्नानुसार है:-

अनुसूची -अ

63 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	5939.00	228.00	---	---	5939.00	228.00
अर्धकुशल	7057.00	271.00	---	---	7057.00	271.00
कुशल	8435.00	324.00	---	---	8435.00	324.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	---	---	9735.00	374.00

अनुसूची -ब

किसी स्लॉट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
कटर्स	10155.00	391.00	---	---	10155.00	391.00
रोलर्स, मिस्ट्री, पाईटर्स	9522.00	366.00	---	---	9522.00	366.00
पेकर, पट्टीपेकर, सीपर	6705.00	258.00	---	---	6705.00	258.00
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435.00	324.00	---	---	8435.00	324.00
मजदूर	5939.00	228.00	---	---	5939.00	228.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	---	---	9735.00	374.00

स्पष्टीकरण

1. प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा दिये गये सुझाव पर म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनु रूप प्रतिदिन रूपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई है।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।

अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है।
(आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
लिपिकीय वर्ग						
श्रेणी एक,	8435.00	324.00	---	---	8435.00	324.00
श्रेणी दो	7057.00	271.00	---	---	7057.00	271.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	---	---	9735.00	374.00
कुशल श्रमिक						
श्रेणी एक	9685.00	372.00	---	---	9685.00	372.00
श्रेणी दो	9378.00	361.00	---	---	9378.00	361.00
श्रेणी तीन	8435.00	324.00	---	---	8435.00	324.00
अर्धकुशल श्रमिक						
श्रेणी एक	8435.00	324.00	---	---	8435.00	324.00
श्रेणी दो	7057.00	271.00	---	---	7057.00	271.00
अकुशल श्रमिक	5939.00	228.00	---	---	5939.00	228.00

'अनुसूची ' "क"

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में) (30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	5939.00	228.00	---	---	5939.00	197.00
अर्धकुशल	7057.00	271.00	---	---	7057.00	235.23
कुशल	8435.00	324.00	---	---	8435.00	281.00
उच्च कुशल	9735.00	374.00	---	---	9735.00	325.00

कृषि नियोजन (आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	5350.00.	178.00	---	---	5350.00.	178.00


अनुसूची (ई) बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु.22.50	रु.42.71	रु.65.21

1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रु. 65.21 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (5.70) अर्जित अवकाश के एवज़ में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (रु 3.26) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (6.85) इस प्रकार कुल रु 81.02 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिक का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रु 13.70 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दि.01.10.2014 से 31.03.2014 की अवधि में श्रमिकों को कुल रूपये 74.17 एवं भविष्य निधि कटौती उपरांत शुद्ध राशि रु. 67.32 देय होगी।

अनुसूची (एफ) अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 21.40	---	---
साधारण अगरबत्ती सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	---	---


(आर.जी. पाण्डेय)
 अपर अमलायुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है
भाग-एक

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा सधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि, 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केंद्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
37.	किसी खदान जैसे कंकड़, मुरम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
38.	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
39.	किसी बेकरी में नियोजन
40.	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
41.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
42.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजननालय में नियोजन
43.	किसी सिनेमागृहो या थियेटर्स में नियोजन
44.	किसी क्लब में नियोजन
45.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
46.	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
47.	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन

48	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
49	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
50	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
51	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
52	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
53	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
54	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
55	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
56	किसी होजयरी में नियोजन
57	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
58	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
59	किसी खिलौना निर्माण,जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है,में नियोजन
60	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
61	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
62	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
63	किसी अचार,बड़ी,पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन

भाग-दो

1.	कृषि में नियोजन
----	-----------------


(आर.जी. पाण्डेय)
अपर श्रम अयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर